विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले दो अध्याय शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय 1 में स्टाम्प शुल्क के कम उद्‌ग्रहण, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे, कर, ब्याज और जुर्माने की मांग की वसूली में विफलता पर ₹ 701.93 करोड़ के आठ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। आर्थिक, सामाजिक, सामान्य क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अध्याय II में एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और आठ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं जिनमें ₹ 62.32 करोड़ की राशि शामिल हैं। रिपोर्ट में वर्णित कुछ प्रमुख निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

अध्याय I: राजस्व क्षेत्र

परिचय

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स) की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में ₹ 43,112.60 करोड़ की तुलना में क्रमश: ₹ 47,135.81 करोड़ और ₹ 41,863.60 करोड़ थी। इसमें से 2019-20 में 80 *प्रतिशत* और 2020-21 में 73 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 36,565.87 करोड़ एवं ₹ 29,425.33 करोड़) तथा गैर कर राजस्व (₹ 1,096.89 करोड़ एवं ₹ 979.67 करोड़) के माध्यम से उठाया गया था। शेष 20 और 27 *प्रतिशत* (₹ 9,473.05 करोड़ एवं ₹ 11,458.60 करोड़) सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

(पैराग्राफ 1.1.1)/पेज-1

व्यापार एवं कर, राजस्व एवं परिवहन विभाग की 61 एवं 21 इकाईयों के अभिलेखों की क्रमशः वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान जांच-परीक्षा में ब्याज के गैर-उद्‌ग्रहण/कर की गैर-वसूली/जुर्माने और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्‌ग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जिनमें 182 मामलों में ₹ 846.15 करोड़ शामिल हैं। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 94.65 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.5.1)/पेज-9

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण - उप पंजीयक की उचित भूमि उपयोग घटक एवं सम्पत्तियों के वर्गीकरण के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.89 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.2)/पेज-11

व्यापार एवं कर विभाग

ट्रांजिशनल क्रेडिट

ट्रांजिशनल क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे के चयन और सत्यापन के लिए जिस तंत्र की परिकल्पना की गयी थी, वह सही और प्रभावी थी तथा निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

उन मामलों में जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रान-1 से ट्रान-2 में ले जाया गया था, विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट की वास्तविकता का सत्यापन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 1.3.6.1)/पेज-14

440 निर्धारितियों के संबंध में ₹ 426.23 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका।

(पैरा 1.3.6.2)/पेज-15

231 निर्धारितियों ने इसके बिक्री डीलरों द्वारा दिखाई गई बिक्री की तुलना में अधिक खरीद दिखा कर ₹ 190.62 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया।

(पैरा 1.3.7.1)/पेज-16

202 निर्धारितियों ने लीगेसी कर व्यवस्था के तहत दायर 2017-18 की पहली तिमाही के वैट रिटर्न में उपलब्ध टैक्स क्रेडिट की राशि की तुलना में ₹ 269.23 करोड़ वैट के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित किया गया था।

(पैरा 1.3.7.2)/पेज-17

50 करदाताओं ने लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ₹ 104.52 करोड़ आईटीसी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था।

(पैरा 1.3.7.3)/पेज-18

वैट क्रेडिट से न काटे गए लंबित वैधानिक प्रपत्रों के प्रभावी कर को ट्रान-1 में अग्रेषित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 23 निर्धारितियों के संबंध में ₹ 5.92 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रेषित किया गया था।

(पैरा 1.3.7.5)/पेज-19

एक निर्धारिती के इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में करदाता द्वारा ट्रान-1 रिटर्न के अनुसार दावा किए गए क्रेडिट के अलावा ₹ 17.41 लाख के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जमा किया गया था।

(पैरा 1.3.8.1)/पेज-20

जीएसटी के अंतर्गत रिफंड क्लेम का प्रसंस्करण

जीएसटी के अंतर्गत रिफंड क्लेम के प्रसंस्करण पर अनुपालन लेखापरीक्षा कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार है:

92 प्री-ऑटोमेशन रिफ़ंड मामलों में पावती जारी करने में एक से 723 दिनों तक की देरी थी जबकि 141 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफ़ंड मामलों में पावती जारी करने में एक से 217 दिनों की देरी थी।

(पैरा 1.4.6.1)/पेज-24

विभाग ने करदाताओं को रिफ़ंड के विलंबित भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत देय प्री-ऑटोमेशन रिफ़ंड मामलों में ₹ 2.50 करोड़ और पोस्ट ऑटोमेशन मामलों में ₹ 14.79 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

(पैरा 1.4.6.2)/पेज-25

14 मामलों मे ₹ 8.66 करोड़ के अनंतिम रिफंड स्वीकृत करने में 7 से 230 दिनों का विलंब था जबकि माल की जीरो-रेटेड आपूर्ति के 79 मामलों में ₹ 49.27 करोड़ की कुल दावा राशि के प्रति अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया था।

(पैरा 1.4.6.3)/पेज-26

विभाग ने इन्वरटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण तीन करदाताओं (प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों) को ₹ 95.37 लाख (90 *प्रतिशत*) का अनंतिम रिफंड जारी किया, जो वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति से अलग था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.37 लाख का अनंतिम रिफंड किया गया।

(पैरा 1.4.6.4)/पेज-28

71 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों में विभाग ने ₹ 32.86 करोड़ के अनुमेय रिफंड के प्रति ₹ 44.60 करोड़ का रिफंड स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.74 करोड़ का अधिक रिफ़ंड हुआ जबकि 120 पोस्ट-ऑटोमेशन मामलों में विभाग ने ₹ 21.57 करोड़ के अनुमेय रिफंड के प्रति ₹ 32.28 करोड़ का रिफंड स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ का रिफ़ंड अधिक स्वीकृत हुआ।

(पैरा 1.4.6.5)/पेज-28

167 मामलों में जिनमें ₹ 51.14 करोड़ की राशि के रिफ़ंड का दावा शामिल था, यद्यपि करदाता ने रिफ़ंड आवेदन के साथ जीएसटीआर-2ए रिटर्न की प्रति जमा नहीं की थी, जबकि 175 मामलों में जिनमें ₹ 36.77 करोड़ के रिफ़ंड का दावा शामिल था, आवश्यक दस्तावेज जैसे - धारा 16(2)(सी) और धारा 42(2) के संबंध में सीए प्रमाण पत्र, अंडरटेकिंग आदि के सत्यापित किए बिना रिफ़ंड जारी किया गया।

(पैरा 1.4.6.8)/पेज-32

पोस्ट-ऑटोमेशन के 11 मामलों में माल और सेवा कर अधिकारी ने ₹ 9.30 करोड़ की दावा की गई रिफ़ंड राशि के विरुद्ध ₹ 0.69 करोड़ की राशि को अस्वीकृत कर दिया था परंतु अस्वीकृत राशि को संबंधित करदाता के इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में पुन: जमा नहीं किया गया था।

(पैरा 1.4.7.1)/पेज-33

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा- निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण की पुष्टि किए बिना निर्धारितियों को ₹ 83.85 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 49.97 लाख का ब्याज एवं ₹ 67.91 लाख का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

(पैरा 1.5)/पेज-35

कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उदग्रहण नहीं होना - निर्धारण प्राधिकारी कर की अतिरिक्त मांग पर ₹ 6.91 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहा।

(पैरा 1.6)/पेज-36

कर, **ब्याज एवं जुर्माने की मांगो की वसूली में विफलता -** विभाग उन निर्धारितियों से, ₹ 87.74 करोड़ की मांगो की वसूली करने में विफल रहा जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

(पैरा 1.7)/पेज-37

अवैध सांविधिक- 'सी' प्रपत्रो के प्रति कर की रियायती दर का अनियमित भत्ता- निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध सांविधिक 'सी' फार्मों के प्रति एक निर्धारिती को ₹ 6.78 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.33 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 19.96 लाख का ब्याज एवं ₹ 20.33 लाख का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

(पैरा 1.8)/पेज-39

परिवहन विभाग

बार बार यातायात उल्लंघन करने वाले से जुर्माने की कम वसूली - उल्लंघनकर्ताओं पर दूसरे और बाद में अपराध के लिए लागू दर के बजाय पहले अपराध की दर से जुर्माना लगाने, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने की कम वसूली हुई। इसके अलावा, बार-बार यातायात अपराधों को रोकने की कोशिश करने के लिए जुर्माने की कंपाउंडिंग के प्रभाव को नकारा गया।

(पैरा 1.9)/पेज-40

अध्याय II: आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ.

परिचय

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के अंतर्गत कुल 460 और 770 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से क्रमश: 140 और 126 इकाइयों का

अनुपालन लेखापरीक्षा किया। इस रिपोर्ट के अध्याय II में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कामकाजी महिला छात्रावास और आठ विभागों से संबंधित पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

योजना विभाग

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

डीबीटी भारत सरकार द्वारा जनवरी 2013 में शुरू की गई एक प्रमुख सुधार पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानातंरित करना है। संकट में महिलाओं को दिल्ली पेंशन योजना (महिला एवं बाल विकास विभाग), वृद्धावस्था पेंशन योजना (समाज कल्याण विभाग) और स्कूली छात्रों को वर्दी सब्सिडी (शिक्षा निदेशालय) जैसी तीन चयनित योजनाओ के संबंध में डीबीटी के कार्यान्वयन पर अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक तक की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गए हैं-

राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ को डीबीटी के तहत योजनाओ को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली में राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ ने इस उद्देश्य के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार नहीं किए। इसने लाभार्थियों/आवेदकों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

(पैरा 2.2.7)/पेज-54

सरकार ने न तो संकट में महिलाओं को दिल्ली सरकार पेंशन योजना (डीपीएसडब्ल्यूडी) एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना (ओएपी) के विवरण का विज्ञापन किया और न ही इन योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए कोई शिविर आयोजित किया। इसने इन योजनाओ के तहत पात्र निवासियों की

वास्तविक संख्या का आकलन करने के लिए कोई कवायद भी नहीं की। इसके अलावा, सरकार ने वृ.पे.योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को भी सीमित कर दिया है, जिससे पात्र निवासियों को एक बार अधिकतम सीमा तक पहुचने के बाद लाभ के लिए आवेदन करने से रोका जा सकता है।

(पैरा 2.2.8.1 एवं 2.2.9.1)/पेज-56 एवं 64

ओएपी एवं डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत विरासती लाभार्थियों का विवरण अर्थात लाभार्थी जो डीबीटी की शुरुआत से पहले लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें योजना प्रबंधन पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट) में स्थानातंरित नहीं किया गया था। इस प्रकार डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत 80 *प्रतिशत* लाभार्थियों और ओएपी योजना के तहत 79 *प्रतिशत* लाभार्थियों का विवरण डिजिटल नहीं किया गया था।

(पैरा 2.2.8.2 एवं 2.2.9.2)/पेज-57 एवं 66

सभी तीनों चयनित योजनाओं के योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (ई-डिस्ट्रिक्ट और एड्डेल पोर्टल्स) में इनपुट सत्यापन जांच अनुपस्थित या अपर्याप्त थी, जिसने डेटाबेस में अमान्य डेटा दर्ज करने की अनुमति दी थी।

(पैरा 2.2.8.3, 2.2.9.3 एवं 2.2.10.1)/पेज-58, 67 एवं 71

एसएमएस और पीएफएमएस (सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली) के बीच कोई संबंध नहीं था जिसके माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान जारी किया जाता है जिसमें आँकड़ों के हेर-फेर की गुंजाइश छोड़कर एसएमएस और पीएफएमएस से भुगतान हेतु आँकड़ों के हस्तान्तरण में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

(पैराग्राफ 2.2.8.4, 2.2.9.4 एवं 2.2.10.3)/पेज-60, 68 एवं 75

डीपीएसडब्ल्यूडी और ओएपी योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के आवधिक पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र नहीं था ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके, जो मृत्यु, पुनर्विवाह और दिल्ली से बाहर जाने आदि के कारण लाभ हेतु अपात्र हो गए हैं।

(पैरा 2.2.8.8 एवं 2.2.9.6)/पेज-62 एवं 69

डीपीएसडब्ल्यूडी एवं ओएपी की पात्रता मानदंड के अनुसार, लाभार्थी केवल एक योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और केंद्र/राज्य/यूएलबी आदि की अन्य योजनाओ से लाभ प्राप्त करने वाले इन योजनाओ के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 1423 लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ जो कि अनियमित था।

(पैराग्राफ 2.2.8.9)/पेज-63

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

गृह विभाग

₹ 4.02 करोड़ की निधि का अवरुद्ध होना एवं ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय - फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा भूमि के एक भूखंड का अधिग्रहण हुआ, जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, जिसके परिणामस्वरूप खरीद पर किए गए ₹ 4.02 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई तथा भूमि के किराए पर ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.3)/पेज-82

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

₹ 81.56 लाख का निष्फल व्यय - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा तीन कार्यों को आवंटित करने से पूर्व बाधा मुक्त स्थलों को सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप इन कार्यों को बंद कर दिया गया, जिससे इन कार्यों पर किया गया ₹ 81.56 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 2.4)/पेज-83

समाज कल्याण विभाग

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था कि सरकार उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कितनी सक्षम है। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

दिल्ली में दिव्यांगजनों के अधिकार के नियमों (डीआरपीडब्ल्यूडी) की अधिसूचना तथा दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के आरोपण के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना में विलंब हुआ। डीआरपीडब्ल्यूडी नियम जो अक्टूबर 2017 से पहले अधिसूचित किए जाने थे, वास्तव में दिसंबर 2018 में ही अधिसूचित किए गए थे। दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन (चार वर्ष) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणित चिकित्सा अधिकारी का पदनाम (2 वर्ष) तथा जिला स्तरीय समिति का गठन (दो से चार वर्ष) में भी देरी हुई थी।

(पैराग्राफ 2.5.6)/पेज-89

सरकार के पास दिल्ली में दिव्यांगजनों (दि.ज) की संख्या के बारे में अद्यतन जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने दिल्ली में सभी दिव्यांगों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था परंतु 2011 की जनगणना के आकड़ों पर भरोसा था। परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाओं की योजना बनाने एवं तैयार करने के लिए सरकार के पास कोई योजना उपलब्ध नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.5.10)/पेज-101

दि.ज. के लिए विशेष स्कूल और छात्रावास विभिन्न कमियों जैसे - स्कूल भवनों का उपयोग अन्य कार्यालयों द्वारा भी किया जा रहा है जिससे भीड़-भाड़ हो रही है, असुरक्षित स्कूल भवन, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की कमी, अस्वच्छ और गंदे परिसर और सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता आदि समस्याएं हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में भी दि.ज. के लिए विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों की कमी थी। इसके अलावा दिल्ली में दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई विशेष स्कूल और कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई छात्रावास नहीं था।

(पैराग्राफ 2.5.11)/पेज-104

दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में कई पहलुओं की कमी थी। दि.ज. को वितीय सहायता की स्वीकृति में देरी हुई और 2019-20 तथा 2020-21 के बजट में घोषित दि.ज. के कल्याण के लिए छह योजनाओं को चालू नहीं किया गया था। सरकार में दि.ज. के लिए आरक्षित रिक्तियों का एक बड़ा बैकलॉग (65 *प्रतिशत*) भी था।

(पैराग्राफ 2.5.12)/पेज-118

पर्यटन विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन की गतिविधियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन की गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा की गई शुरुआत पर्याप्त और प्रभावी थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

सरकार ने दिल्ली के लिए कोई पर्यटन नीति नहीं बनाई और न ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई दीर्घकालिक/रणनीतिक मास्टर प्लान तैयार किया इसके पास दिल्ली में पर्यटकों की आमद के बारे में भी जानकारी नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.6.3)/पेज-134

दिल्ली प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार सलाहकार परिषद का गठन अधिनियम के शुरू होने के 17 वर्ष बाद भी किया जाना बाकी था।

(पैराग्राफ 2.6.4)/पेज-136

पर्यटन विभाग एवं डीटीटीडीसी द्वारा पर्यटन से संबंधित गतिविधियों पर किया गया व्यय वेतन और मजदूरी के अलावा, 2017-18 से 2020-21 के दौरान मामूली और ₹ 31.06 करोड़ से ₹ 47.37 करोड़ की सीमा में किया गया था।

(पैराग्राफ 2.6.5)/पेज-136

डीटीटीडीसी की स्थापना भारत में आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में दिल्ली के समग्र विकास और प्रचार के लिए की गई थी। हालाँकि, पर्यटन संबंधी कार्यों में केवल 22 *प्रतिशत* जनशक्ति को तैनात किया गया था और डीटीटीडीसी द्वारा पर्यटन गतिविधियों पर किया गया व्यय लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल व्यय का 3.11 *प्रतिशत* से 8.80 *प्रतिशत* था, जो पर्यटन को दी गई कम प्राथमिकता को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 2.6.6)/पेज-138

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 2010 में शुरू हुई एचओएचओ बस सेवा, अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही क्योकिं डीटीटीडीसी ने कोई निगरानी तंत्र तैयार नहीं किया था और न ही बस सेवा के बारे में सवारों की

प्रतिक्रिया ली थी। 2010 में परिकल्पित 14 बसों की संख्या 2017-18 में पाँच होने के बाद जुलाई 2020 में सेवा को बंद कर दिया गया था। थीम आधारित टुरिस्ट सर्किट और फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस की योजनाओं/ सुविधाओं को लागू नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.6.8)/पेज-140

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा संरक्षित 18 स्मारकों के निरीक्षण से पता चला कि स्मारकों के संरक्षण की धीमी गति, संरक्षित स्मारकों के रखरखाव की कमी, शौचालयों और गाइडों की अनुपलब्धता, सीसीटीवी एवं अग्निशमन यंत्र आदि का अभाव था।

(पैराग्राफ 2.6.9)/पेज-144

प्रशिक्षण निदेशालय : केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवा

₹ 168 लाख के प्रशिक्षण भते का अनियमित भुगतान - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक कार्य के लिए के.शा.प्र.सि.से. में पदस्थापित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भते का अनुदान देने से ₹ 168 लाख के प्रशिक्षण भते का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.7)/पेज-153

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय - नेताजी सुभाष प्रोधोगिकी विश्वविद्यालय

₹ 66.25 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स) की अनुमति के बिना नेताजी सुभाष प्रोधोगिकी विश्वविद्यालय द्वारा सहायक कुल सचिव के दो पद के सृजन के परिणामस्वरूप ₹ 66.25 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.8)/पेज-155

शहरी विकास विभाग

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ₹ 114.01 लाख की निधि अवरुद्ध और ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि हुई - दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सड़क मरम्मत शुल्क के त्रुटिपूर्ण भुगतान के कारण ₹ 114.01 लाख की निधि अवरुद्ध हुई और इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.9)/पेज-156

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग (म.बा.वि.वि.) के कामकाजी महिला छात्रावास (का.म.छा.) की अनुपालना लेखापरीक्षा दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए म.बा.वि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए प्रयासों की पर्याप्तता की जांच के लिए की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

म.बा.वि.वि. के पास दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की संख्या के संबंध में कोई आँकड़ा नहीं था, जिन्हें आवास की आवश्यकता थी, जिसके कारण वह दिल्ली में का.म.छा. की आवश्यकता का आकलन करने की स्थिति में नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.10.2)/पेज-158

म.बा.वि.वि. के अंतर्गत रोहिणी और विश्वास नगर में दो का.म.छा., जो वाई.डबल्यू.सी.ए. द्वारा संचालित और प्रबंधित किए जा रहे थे, को क्रमश: सितंबर 2019 और अगस्त 2020 में बंद कर दिया गया था क्योंकि म.बा.वि.वि.इन का.म.छा. के भवनों के रखरखाव सुनिश्चित करने में विफल रहा था।

(पैराग्राफ 2.10.3)/पेज-159

म.बा.वि.वि. पाँच स्थानों पर का.म.छा. का निर्माण नहीं कर सका, जिसके लिए वह दि.वि.प्रा. से भूमि का कब्जा लिया था। इनमें से चार भूखंड 2001 एवं 2003 के बीच और पांचवा 2014 में अधिग्रहित किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.10.5)/पेज-161